प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, एसयू उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2023
प्र.इ.रि.स 145/2023 दिनांक 08/06/2023

2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट – धाराएं 7, पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018
(2) अधिनियम भा.द.स. – धाराएं – 109 भा.दं.सं.
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 145 समय 12:15 PM
(2) अपराध के घटने का दिन मंगलवार दिनांक 06.06.2023 समय 3:20 पी.एम
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 19.05.2023 समय करीब 12:00 पी.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटना स्थल :
(1) थाना/यूनिट से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग **435** किलोमीटर
(2) पता – कार्यालय उप निदेशक उद्यान उदयपुर।
.... बीट संख्या .... जरायमदेही संख्या ....
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –

परिवादी

(1) नाम : – श्री योगेश कुमार खटीक
(2) पिता का नाम : – श्री दलीचंद खटीक
(3) आयु : – 23 वर्ष
(4) राष्ट्रीयता : –भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि..........जारी होने की जगह.................
(6) व्यवसाय : – प्राईवेट फर्म
(7) पता : – **– निवासी ग्राम नवानिया, तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर**

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :

1. डॉ लक्ष्मी कुंवर राठोड पत्नी श्री दशरथ सिंह राजावत उम्र 41 वर्ष निवासी ग्राम जवाली पोस्ट पानेर तहसील पीपलुन्द जिला टोंक हाल निवासी मकान नम्बर 04 पुराना आरटीओ ऑफिस के पीछे कृष्ण विहार कॉलोनी प्रतापनगर जिला उदयपुर हाल उप निदेशक उधान जिला उदयपुर
2. श्री पर्वतदान चारण पुत्र श्री बीबरदान चारण उम्र 49 वर्ष निवासी गांव छोटडिया, तहसील रतनबढ जिला चुरू हाल निवासी लालविहार कॉलोनी नया आरटीओ के पास जिला उदयपुर (किराये पर) हाल कृषि अधिकारी कार्यालय उप निदेशक उघान जिला उदयपुर 8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण : –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

क्रम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	25000 रूपये	

आरोपियों द्वारा परिवादी के फव्वारा संयत्र एवं ड्रिप ईरिगेशन के लंबित कार्य के अनुदान एवं सब्सिडी स्वीकृत करनें की एवज में रिश्वत राशि मांगकर 25000 रूपयें ग्रहण करना।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 25000
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 19.05.2023 को समय 12:00 पीएम पर परिवादी श्री योगेश कुमार खटीक पुत्र श्री दलीचन्द खटीक उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम नवानिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ने एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र के साथ कार्यालय में उपस्थित हुआ और बताया कि मेरी वाई के डिडवानिया एण्ड कंपनी के नाम से फर्म है। जिसमें मैं बुंद–बुद सिंचाई और फव्वारा सिस्टम किसानों के यहां लगाता हुँ। जिस पर सरकार द्वारा किसानों को अनुदान दिया जाता है। किन्तु इस कार्य में उद्यान विभाग उदयपुर की अधिकारी श्रीमती लक्ष्मी राठौड प्रति फाईल के 1200 रूपये रिश्वत राशि अपने सबोर्डिनेट कर्मचारी कृषि अधिकारी श्री पर्वतदान चारण के मार्फत मांग रही है और ड्रिप ईरिगेशन में 3 प्रतिशत कमीशन बिल के आधार पर मांगते है। अगर मैनें यह रिश्वत नहीं दी तो मेरी कोई भी फाईल पास नहीं करेंगे। और मुझे ब्लेक लिस्टेड कर देंगे बजट नहीं होने का बहाना बनाकर फाईलों को रोके रखते है। मेरी लगभग 60 फाईले इनके यहां पेण्डिग है। मेरे काम को लगातार अटका रहे है। मेरी इनसे कोई दुश्मनी/ अदावत/ रंजिश/ उधारी रूपयों का जैसा कोई व्यवहार नहीं है। मेरी फर्म को ब्लेक लिस्टेड करनें की धमकी भी देते है। परिवादी द्वारा पेश की गई विस्तृत प्रथम सूचना रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो इसमें भी यही तथ्य है। मामला पीसी एक्ट में लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कृत्य करनें के लिए असम्यक रूप से लाभ प्राप्त करना चाह रहे है तथा मामलें में रिश्वत मांग का सत्यापन किया जाना आवश्यक है। कानि0 सुनील कुमार को परिवादी के साथ दिनांक 23.05.2023 को कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकार्डर से संपूर्ण मामला रिकॉर्ड करनें के निर्देश दिये। तत्पश्चात दिनांक 28.05.2023 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र0नि0 ब्यूरों चित्तौडगढ ने कानि. श्री सुनील कुमार को निर्देशित किया कि वह परिवादी श्री योगेश कुमार से संपर्क कर मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड करनें की कार्यवाही करें। जिस पर कानि0 श्री सुनील कुमार दिनांक 29.05.2023 को भ्र0नि0 ब्यूरों चित्तौडगढ से मय डिजिटल वॉईस रिकार्डर के समय करीब 11:00 एएम पर रवाना होकर परिवादी से संपर्क किया तो परिवादी श्री योगेश कुमार उप निदेशक उद्यान कार्यालय उदयपुर के बाहर मिला जिसे वॉईस रिकार्डर के संचालन एवं रिकार्डिंग की विधि समझाईश कर मांग सत्यापन वार्ता रिकार्डिंग हेतु रवाना किया जो मांग सत्यापन वार्ता रिकार्डिंग कर पुनः श्री सुनील कुमार के पास आया जिसने टेप रिकार्डर बंद कर बताया कि उप निदेशक डॉ0 लक्ष्मी राठोड एवं कृषि अधिकारी श्री पर्वतदान चारण द्वारा रिश्वत मांग की गई जिसे उसके द्वारा रिकार्ड कर लिया गया। जिस पर श्री सुनील कुमार कानि0 द्वारा डिजिटल वॉईस रिकार्डर को भ्र0नि0 ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ के मालखानें में सुरक्षित रखा तथा दिनांक 05.06.2023 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजिटल वॉइस रिकार्डर को मालखानें से निकलवाकर सुना तो आरोपियों द्वारा रिश्वत राशि मांग करना सत्यापित पाया गया। जिस पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु भ्र0नि0 ब्यूरों एसयू उदयपुर से मन् आदर्श कुमार पुलिस निरीक्षक तथा कानि0 श्री दिनेश कुमार को दिनांक 05.06.2023 समय करीब 02:00 पीएम पर तलब किया गया तथा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रार्थना मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा गवाह तलबी हेतु तहरीर जारी की गई। दिनांक 05.06.2023 को समय करीब 06:00 पीएम पर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र0नि0 ब्यूरों चित्तौडगढ द्वारा स्वतंत्र गवाहन की तलबी हेतु पत्र प्रेंषित किया जाने पर श्री ओमप्रकाश हैड कानि0 एवं श्री सुनील कुमार को दिनांक 06.06.2023 को तलबशुदा गवाह एवं ब्यूरो टीम के अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु भ्र0नि0 ब्यूरों चौकी उदयपुर पर दिनांक 06.06.2023 की प्रातः 10:00 एएम पर आकर मन् पुलिस निरीक्षक से संपर्क करने हेतु निर्देशित किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक एवं श्री दिनेश कुमार कानि0 उदयपुर के लिए रवाना हुए साथ ही श्री सुनील कुमार को निर्देशित किया कि वह परिवादी श्री योगेश कुमार खटीक को दिनांक 06.06.2023 की प्रातः 10 बजे भ्र0नि0 ब्यूरों चौकी उदयपुर पर उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया। दिनांक 06.06. 2023 को समय 10:15 एएम पर श्री ओमप्रकाश हैड कानि0, परिवादी श्री योगेश कुमार, तलबशुदा स्वंतत्र गवाह श्री हिमांशु वीरवाल, श्री भूपेन्द्र सालवी तथा ब्यूरों टीम श्री मानसिंह कानि0 मय ट्रेप बॉक्स, श्री सुनील कुमार कानि0 मय लेपटोप प्रिन्टर एवं डिजिटल वॉईस रिकार्डर, श्री सूरजमल कानि0 सरकारी वाहन टवेरा आरजे 14 युबी 8692 मय चालक श्री

शेरसिंह के भ्र0नि0 ब्यूरों चौकी उदयपुर पर उपस्थित होकर बताया कि आपके निर्देशानुसार पूर्व पाबंदशुदा दोनो स्वतंत्र गवाह भ्र0नि0 ब्यूरों चौकी चित्तौडगढ पर आज दिनांक 06.06.2023 को समय करीब 08:15 एएम पर उपस्थित आये जिन्हें हमराह लेकर इस समय अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु उपस्थित हुए। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह से परिचय पुछा तो श्री हिमांशु वीरवाल पुत्र श्री दिलीप वीरवाल जाति खटीक उम्र 30 वर्ष निवासी मकान न. 389, घाटी वीरवाल मोहल्ला मेडता, पुलिस थाना डबोक, जिला उदयपुर हाल सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर उप खण्ड जिला चित्तौडगढ मोबाईल नम्बर 8947031377 तथा श्री भूपेन्द्र सालवी पुत्र श्री मेवालाल जी सालवी उम्र 23 वर्ष निवासी कैलाश नगर, पुलिस थाना कोतवाली जिला चित्तौडगढ हाल कनिष्ठ सहायक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर उप खण्ड जिला चित्तौडगढ मोबाईल नम्बर 8302400698 ने अपना परिचय दिया। जिस पर गवाह को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा की जा रही ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहनें हेतु स्वीकृति चाही गई तो दोनों गवाह द्वारा अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की गई। जिस पर दोनों गवाह का परिवादी से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 19.5.2023 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वयं की हस्तलिपि में लिखा जाना स्वीकार करते हुए शब्द-ब-शब्द सही होना बताकर उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनो गवाह के हस्ताक्षर करवायें गये। समय 10:20 एएम पर परिवादी श्री योगेश कुमार खटीक एवं आरोपियां डॉ0 लक्ष्मी कंवर तथा आरोपी श्री पर्वतदान चारण के मध्य के मध्य दिनांक 29.05. 2023 को रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में स्वतंत्र गवाहानों के समक्ष वॉईस रिकार्डर को चलाकर श्री सुनील कुमार कानि0 से मुर्तिब करवाया जाना प्रारंभ किया गया। समय 11:20 एएम पर परिवादी श्री योगेश कुमार खटीक एवं आरोपियां डॉ0 लक्ष्मी कंवर तथा आरोपी श्री पर्वतदान चारण के मध्य के मध्य दिनांक 29.05.2023 को रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में स्वतंत्र गवाहानों के समक्ष वॉईस रिकार्डर को चलाकर श्री सुनील कुमार कानि0 से मुर्तिब करवाया जाना समाप्त किया गया तथा मोबाईल पर हुई मांग सत्यापन वार्ताओं की एक मूल एवं एक मुल्जिम एवं एक आईओ प्रति की सीडी डब कराकर तैयार करवाई गई। फर्द टांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवायें गये तथा समस्त सीडीयों पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये तथा मूल सीडी को कपडे की थेली में बंद कर मार्क ''ए'' अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवायें जाकर सीलबंद मोहर की गई। तत्पश्चात समय 11:24 एएम पर परिवादी श्री योगेश कुमार खटीक के मोबाईल नंबर 8505080956 से आरोपी श्री पर्वतदान चारण के मोबाईल नंबर 9660287376 पर मोबाईल का स्पीकर लाउड मोड पर कराकर डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड करते हुए वार्ता करवाई तो आरोपी श्री पर्वतदान चारण द्वारा परिवादी से कहा कि मेडम डॉ0 लक्ष्मी कंवर और हम कार्यालय उप निदेशक उद्यान उदयपुर पर ही है। उक्त वार्ता की ट्रासंकिप्ट बाद में मुर्तिब किया जाना सूनिश्चित किया गया। समय 11:27 एएम पर पूर्व में पुलिस लाईन उदयपुर से दो महिला कानि0 की आवश्यकता हेतु जारी की गई तहरीर के कम में पुलिस लाईन उदयपुर से ललिता कुमारी म0 कानि. 2972 एवं श्रीमती लीला पलात म0 कानि0 2953 उपस्थित हुई। जिन्हें कार्यवाही में हमराह सम्मिलित किया गया। समय 11:30 एएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा संदिग्ध आरोपीगण को रिश्वत में दी जाने वाली राशि परिवादी श्री योगेश कुमार खटीक से मांगने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 50 नोट कुल 25,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर प्रस्तुत किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :-

क.स.	नोट का प्रकार	नोटो के नम्बर
1.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 FK 558471
2.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 FK 558472
3.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 FK 558473
4.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 FK 558474
5.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 FK 558475
6.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 FK 558476

7.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 FK 558477
8.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 FK 558478
9.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 FK 558479
10.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 FK 558480
11.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6 KG 835558
12.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6 ET 977902
13.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2 CR 917549
14.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0 NG 968926
15.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3 FL 670957
16.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6 LL 424604
17.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7 FV 231985
18.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7 RR 179422
19.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2 FD 013276
20.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5 UN 634119
21.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9 VK 510768
22.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0 CD 709060
23.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4 CL 740248
24.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2 DV 695622
25.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9 SW 398081
26.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2 CW 041869
27.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0 RQ 525415
28.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9 FA 697006
29.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 FL 208764
30.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7 PK 836984
31.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 FC 186567
32.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7 FU 545944
33.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7 MA 670486
34.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 PE 486070
35.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6 SV 353200
36.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3 DG 640728
37.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5 CL 860801
38.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 GE 325426
39.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 GV 877130
40.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7 HW 677603
41.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 BN 799294
42.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6 ER 012196
43.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5 PE 704950
44.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3 DD 172702
45.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6 HF 376587
46.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3 LA 594541
47.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 VG 018660
48.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7 HN 760681
49.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3 WP 350259
50.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0 GU 869669

उपरोक्त प्रस्तुत नोटो का मिलान स्वंतत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्री टीकाराम कानि, ब्यूरो चौकी उदयपुर को निर्देशित कर उदपयपुर चौकी की फिनोफ्थलीन की शिशी मंगवाई जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत 25,000/- रूपयें के समस्त नोटो के दोनों ओर फिनोफथलीन पाउडर श्री टीकाराम कानि से लगवाया गया। परिवादी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहान श्री हिमांशु वीरवाल से लिवाई गई जिसमें मोबाईल के अलावा कोई अन्य वस्तु नहीं छोडी जाकर फिनोफ्थेलीन लगे हुए नोटों को परिवादी की पहनी हुई पेन्ट के आगे की दाहीनी

जेब में कुछ शैः न छोड़ते हुए श्री टीकाराम कानि से मुनासिब हिदायत के रखवाये गये। तत्पश्चात श्री टीकाराम कानि0 से ट्रेप बॉक्स में रखी एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्री टीकाराम कानि की अंगुलियों व अंगुठे जिन पर फिनॉफथलीन पाउडर लगा हुआ है, को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि आरोपी, परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोलफ्थेलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उनके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो धोवन का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी धोवन को श्री टीकाराम कानि से बाहर नाली में फिकवाया गया तथा उपरोक्त कांच के गिलासो को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपीगण श्रीमती लक्ष्मी राठौड उपनिदेशक उद्यान एवं श्री पर्वत सिंह कृषि अधिकारी को उनकी मांग अनुसार 25,000/- रूपयें रिश्वती राशि मांगने पर ही देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे एवं रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, तथा ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शीशीयॉ, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को श्री टीकाराम कानि. से दुबारा साफ पानी व साबुन से धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये तथा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों के भी हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये एवं परिवादी को छोडकर समस्त ट्रेप पार्टी एवं पुलिस निरीक्षक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहों से लिवाई तथा स्वतंत्र गवाहों के आपस में एक दूसरें से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें विभागीय पहचान पत्र तथा अपने-अपने मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपियों के मध्य होने वाले रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी कि आरोपी के रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात सिर पर हाथ फैरकर ईशारा करना निर्धारित किया जाकर यह निर्धारित ईशारा स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरों टीम को समझाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री योगेश कुमार खटीक को डिजिटल वॉयस रिकार्डर रिश्वत लेनदेन की वार्ता की रिकार्डिंग हेतु संचालन की विधि पुनः समझाईस कर पेंट की बांयी जेब मे रखवाया जाकर सुपुर्द किया गया तत्पश्चात श्री टीकाराम कानि को फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को पुनः ब्यूरो ईकाई उदयपुर पर रखने की एवं ब्यूरो चौकी उदयपुर पर ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। उपर्युक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोल्फथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11:45 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक, इमदाद हेतु उपस्थित डॉ सोनू शेखावत पुलिस निरीक्षक स्वतंत्र गवाहान श्री हिमांशु वीरवाल, श्री भूपेन्द्र सालवी, ब्यूरों टीम श्री ओमप्रकाश हैड कानि0, श्री दिनेश कुमार मय प्रिन्टर लेपटॉप, श्री मानसिंह, श्री सूरजमल कानि0, अन्य आवश्यक संसाधन, तलबशुदा महिला कानि. निजी वाहन एवं सरकारी वाहन टवेरा मय चालक कानि0 श्री शेरसिंह तथा परिवादी श्री योगेश कुमार मय डिजिटल वॉयस रिकार्डर, जरिये निजी वाहन के कानि0 श्री सुनील कुमार के कार्यालय एसीबी उदयपुर से कार्यालय उप निदेशक उद्यान उदयपुर के लिए रवाना हुए तथा श्री टीकाराम को कार्यालय पर छोडा गया। समय करीब 11:45 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक एवं हमराहीन के रवानाशुदा समय करीब 12:00 पीएम पर कार्यालय निदेशक उद्यान उदयपुर से कुछ दुरी पूर्व रूककर परिवादी को प्रदान किया गया टेप रिकार्डर चालु कर रिश्वत राशि देने हेतु समय करीब 12:05 पीएम पर रवाना किया गया जो समय करीब 12:10 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के पास पुनः उपस्थित हुआ। जिसने टेप रिकार्डर बंद कर मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि डॉ0 लक्ष्मी कंवर राठौड मीटिंग में है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीन कार्यालय उप निदेशक उद्यान उदयपुर से रवाना होकर समय

करीब 12:30 पीएम पर पुनः भ्र0नि0 ब्यूरों चौकी उदयपुर पर पहूँचे तथा परिवादी के जेब से रिश्वत राशि गवाह श्री हिमांशु वीरवाल से निकलवाई जाकर एक लिफाफे में रखवाई जाकर लिफाफे को ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाय जाकर गवाह श्री हिमांशु के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। परिवादी श्री योगेश कुमार खटीक के मोबाईल नंबर 8505080956 से आरोपी श्री पर्वतदान चारण के मोबाईल नंबर 9660287376 पर समय करीब 01.51 पीएम पर मोबाईल का स्पीकर लाउड मोड पर कराकर डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड करते हुए कॉल करवाया। जिसके तुरंत बाद समय करीब 01:52 पीएम पर ही आरोपी के मोबाईल से परिवादी के मोबाईल पर कॉल आया जिस पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर लाउड मोड पर कराकर डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड करते हुए वार्ता करवाई तो आरोपी श्री पर्वतदान चारण द्वारा परिवादी से कहा कि मेडम डॉ0 लक्ष्मी कंवर और हम कार्यालय उप निदेशक उद्यान उदयपुर पर ही है आप आ जाओ। उक्त वार्ता की ट्रासंक्रिप्ट बाद में मुर्तिब किया जाना सूनिश्चित किया गया। समय 02:15 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने गवाह श्री हिमांशु वीरवाल से ट्रेप बॉक्स के अन्दर लिफाफे में रखी राशि को निकलवाया जाकर परिवादी की पहनी पेन्ट की आगे की दांयी जेब में रखवाकर लिफाफे को नष्ट किया तथा गवाह श्री हिमांशु के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवानें के बाद मन् पुलिस निरीक्षक मय डॉ सोनू शेखावत पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान श्री हिमांशु वीरवाल, श्री भूपेन्द्र सालवी, ब्यूरों टीम श्री ओमप्रकाश हैड कानि0, श्री दिनेश कुमार मय प्रिन्टर लेपटॉप, श्री मानसिंह, श्री सूरजमल कानि0, अन्य आवश्यक संसाधन, तलबशुदा महिला कानि. सरकारी वाहन टवेरा मय चालक कानि0 श्री शेरसिंह तथा परिवादी श्री योगेश कुमार मय डिजिटल वॉयस रिकार्डर, जरिये निजी वाहन के कानि0 श्री सुनील कुमार के कार्यालय एसीबी उदयपुर से कार्यालय उप निदेशक उद्यान उदयपुर के लिए रवाना होकर समय करीब 2:25 पीएम पर उपनिदेशक उद्यान जिला उदयपुर के बाहर चाय के स्टॉल से कुछ दुरी पहले पहुंच ब्यूरो का डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी के पहने हुए कपडो में रखकर परिवादी को रिश्वत राशि देने हेतु कार्यालय उपनिदेशक उद्यान जिला उदयपुर में रवाना किया हम सभी अपनी-अपनी उपस्थिति छिपाकर परिवादी के निर्धारित इशारे के इन्तजार में खडे रहे। समय करीब 03:20 पीएम पर परिवादी ने मेन गेट पर आकर निर्धारित ईशारा किया, जिसे कानिस्टेबल सुनील कुमार एवं गवाह हिमांशु वीरवाल ने देखकर मन् पुलिस निरीक्षक एवं हमराहीन को ईशारा किया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीन के परिवादी के पास पहुँचे तथा परिवादी ने वॉईस रिकार्डर बंद कर कानि0 श्री सुनील को सुपुर्द किया तथा बताया कि आरोपी श्री पर्वतदान चारण कृषि अधिकारी ने रिश्वत राशि अपने दाहिने हाथ में लेकर टेबल की सेकण्ड दराज में रखे हैं। जो पेन्ट शर्ट पहने हुए गेहुंआ रंग एवं हष्ट पुष्ठ है। परिवादी के साथ मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के उक्त कार्यालय के प्रथम मंजिल पर आरोपी के कक्ष के गेट पर आकर परिवादी ने हाथ से ईशारा किया कि ये सामने जो कुर्सी पर बैठे है यही पर्वतदान चारण कृषि अधिकारी उद्यान है जिन्होंने मेरे से अभी-अभी रिश्वत राशि ग्रहण की है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त आरोपी को अपना एवं हमराहीयान का परिचय देते हुए आरोपी को अपना परिचय पुछा तो आरोपी ने अपना नाम श्री पर्वतदान चारण पुत्र श्री बींबरदान चारण जाति चारण उम्र 49 वर्ष निवासी छोटडिया छोत्रिया तहसील रतनगढ जिला चुरू हाल निवासी केयर ऑफ अनिल शर्मा लाल विहार कॉलोनी नया आरटीओ ऑफिस के पास उदयपुर हाल कृषि अधिकारी उद्यान कार्यालय उप निदेशक उद्यान उदयपुर होना बताया। जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी की ओर ईशारा करते हुए आरोपी से पुछा कि अभी-अभी कुछ समय पहले परिवादी श्री योगेश कुमार खटीक आपके पास आया और आपकों रूपयें दिये, आपने रूपये किस बात के लिए प्रापत किये और क्यो प्राप्त किये। परिवादी का आपके पास क्या काम पेण्डिग है जिसकी एवज में आपनें रिश्वत राशि ली है जिस पर आरोपी श्री पर्वतदान चारण ने बताया कि यह फर्म वाला है। इसने किस बात के रूपये दियें मुझे पता नहीं है। मुझे तो मेडम डॉ0 लक्ष्मी कंवर राठौड कहकर गई कि योगेश कुमार आवें तो बात कर लेना इसलिये मैनें 25000 रूपयें लेकर टेबल की सेकण्ड दराज में रखें है। जो पडे हुए है। आपको दिखा सकता हुँ। इनकी फव्वारा संयत्र के आवेदन की 60 फाईले ऑनलाईन आवेदन किया हुआ पेण्डिग चल रही है। जिनके टोकन नंबर के आधार पर हम आपकों आवेदन की प्रिन्ट निकालकर दे सकता हूँ। इसके अलावा ऑफिस में ऑफलाईन आवेदन की पत्रावलियों

का रिकार्ड नहीं रखा जाता है। मेरे से गलती हो गई मुझे माफ कर दो मैनें कोई रिश्वत राशि के रूप में रूपयें नहीं लिये है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री योगेश कुमार खटीक को पुछा तो परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री पर्वतदान चारण एवं डॉ0 लक्ष्मी कंवर राठौड उप निदेशक उद्यान द्वारा दिनांक 29.05.2023 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की तो मेडम ने तीन प्रतिशत के हिसाब से प्रत्येंक फाईल का कमीशन के संबंध में श्री पवर्तदान चारण कृषि अधिकारी उद्यान से बात करनें के लिए कहनें पर मैने श्री पर्वतदान चारण से बात की तो उन्होंने मुझे प्रति फाईल 1000 रूपयें से कुल 60000 रूपयें की मांग की थीं। परन्तु मैनें मेरी व्यवस्था अनुसार मैंने आज 25000 रूपयें लेकर आया था। जो मैनें आज अभी कुछ समय पहले देकर नींचे आकर मैन गेट से ट्रेप पार्टी सदस्यों को निर्धारित ईशारा किया जाना बताया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री पवर्तदान चारण को रिश्वत राशि कहा पर है पुछा तो आरोपी श्री पवर्तदान चारण ने बताया कि श्री योगेश कुमार खटीक फर्म मालिक ने मुझे 25000 रूपयें दिये है जो मैनें अपनी टेबल की सेकण्ड दराज में रखे है। उक्त स्पष्टीकरण के पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने कानिस्टेबल श्री मानसिंह को दाहिना हाथ एवं कानि0 श्री सुनील कुमार को आरोपी का बायां हाथ पहुँचे से उपर पकडनें के लिए कहा तथा आरोपी श्री पर्वत दान चारण से मेडम डॉ0 लक्ष्मी कंवर राठौड उप निदेशक उद्यान के संबंध में पुछा तो आरोपी श्री पवर्तदान चारण ने बताया कि डॉ0 लक्ष्मी कंवर राठौड उप निदेशक उद्यान अभी कुछ समय पूर्व कलेक्ट्रेट उदयपुर मीटिंग होने से गई है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने पुलिस निरीक्षक श्रीमती सोनु शेखावत मय दोनों महिला कानिगणों मय सरकारी टवेरा मय चालक श्री शेरसिंह को आरोपियां डॉ0 लक्ष्मी कंवर राठौड उप निदेशक उद्यान को कलेक्ट्रेट उदयपुर से पुछताछ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु डिटेन कर लाने की हिदायत देकर समय करीब 3:35 पीएम पर रवाना किया। तत्पश्चात आरोपी श्री पर्वतदान चारण द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करना बखुबी पाया जाने से हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारंभ की गई। ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच की गिलास गवाह श्री हिमांशु वीरवाल से निकलवाई जाकर दोनों गिलास में उप निदेशक कार्यालय में उपलब्ध पीने का पानी मंगवाया जाकर गवाह श्री हिमांशु वीरवाल से दोनो गिलास में साफ पानी भरवाया गया तथा दोनों गिलास में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर हिलाया गया तो दोनो गिलास का रंग अपरिवर्तित रहा। तत्पश्चात उक्त सोडियम कार्बोनेट के घोल के एक गिलास में आरोपी श्री पर्वतदान चारण के दाहिनें हाथ की अंगुलिया एवं अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी के बांये हाथ की अगुलियों व अगूंठे को दूसरे कांच के गिलास के घोल में डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री पर्वतदान चारण की निशादेही से टेबल की सेकण्ड दराज में रखी रिश्वत राशि गवाह श्री भूपेन्द्र सालवी से निकलवाई जाकर गिनवाई तो 500-500 रूपयें के 50 नोट कुल 25000 रूपयें होना पाये गये। जिनका मिलान गवाह श्री भूपेन्द्र सालवी से पूर्व में मुर्तिब की गई फर्द पेशकसी नोट से करवाया तो उपस्थित के समक्ष हुबहू निम्नानुसार होना पाया गया।

क.स.	नोट का प्रकार	नोटो के नम्बर
1.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 FK 558471
2.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 FK 558472
3.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 FK 558473
4.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 FK 558474
5.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 FK 558475
6.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 FK 558476
7.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 FK 558477
8.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 FK 558478
9.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 FK 558479

10.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 FK 558480
11.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6 KG 835558
12.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6 ET 977902
13.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2 CR 917549
14.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0 NG 968926
15.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3 FL 670957
16.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6 LL 424604
17.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7 FV 231985
18.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7 RR 179422
19.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2 FD 013276
20.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5 UN 634119
21.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9 VK 510768
22.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0 CD 709060
23.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4 CL 740248
24.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2 DV 695622
25.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9 SW 398081
26.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2 CW 041869
27.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0 RQ 525415
28.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9 FA 697006
29.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 FL 208764
30.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7 PK 836984
31.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 FC 186567
32.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7 FU 545944
33.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7 MA 670486
34.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 PE 486070
35.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6 SV 353200
36.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3 DG 640728
37.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5 CL 860801
38.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 GE 325426
39.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 GV 877130
40.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7 HW 677603
41.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1 BN 799294
42.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6 ER 012196
43.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5 PE 704950
44.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3 DD 172702
45.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6 HF 376587
46.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3 LA 594541
47.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8 VG 018660
48.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7 HN 760681
49.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3 WP 350259
50.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0 GU 869669

तत्पश्चात आरोपी श्री पर्वतदान चारण की निशादेही से बरामद हुई रिश्वत राशि 25000 रूपयें को एक कागज की चिट लगाकर सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करा कब्जे ब्यूरों लिये गये। आरोपी श्री पर्वतदान चारण की टेबल की सेकण्ड दराज जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई उक्त जगह का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से ट्रेप बॉक्स में सें एक अन्य कांच की गिलास में गवाह श्री हिमांशु वीरवाल से साफ पानी भरवाया गया तथा एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर हिलाया गया तो गिलास का रंग अपरिवर्तित रहा। तत्पश्चात उक्त सोडियम कार्बोनेट के घोल के एक गिलास में रूई के फोये को भिगोया गया तो गिलास के पानी का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त भीगे हुए रूई के फोये को आरोपी की टेबल की सेकण्ड दराज में रिश्वत राशि रखी जगह पर घुमाया जाकर गिलास में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग

गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क डी-1 व डी-2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात पुलिस निरीक्षक श्रीमती सोनु शेखावत मय महिला कानि0 के आरोपियां डॉ0 लक्ष्मी कंवर राठौड को लेने कलेक्ट्रेट उदयपुर गई हुई समय करीब 04:15 पीएम पर लेकर उपस्थित आयी। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपिया डॉ0 लक्ष्मी कंवर राठौड को अपना परिचय देते हुए आने का प्रयोजन से अवगत करा उससे उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम डॉ0 लक्ष्मी कंवर राठौड पत्नी श्री दशरथ सिंह उम्र 41 वर्ष ग्राम जवाली पोस्ट पानेर तहसील पीपलुन्द जिला टोंक हाल उप निदेशक उद्यान कार्यालय उप निदेशक उद्यान उदयपुर होना बताया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री योगेश कुमार खटीक की फर्म वाई के डिडवानिया एण्ड कंपनी की किसानों की फव्वारा संयत्र की फाईलो का अनुदान, ड्रिप ईरिंगेशन के कमीशन एवं ब्लेक लिस्टेड नहीं करनें की एवज में आप द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि की मांग किये जाने के संबंध में पुछा तो आरोपियां डॉ0 लक्ष्मी कंवर राठौड ने बताया कि मैं श्री योगेश कुमार खटीक को जानती हूँ। इनकी फर्म जिनके मार्फत ये ड्रिप ईरिंगेशन, फव्वारा संयत्र लगाने संबंधी कार्य करता है। जो अमुमन आये दिन मेरे पास मेरे कार्यालय में आते रहते है और हमारें से बैठकर बात करते है। दिनांक 29.05.2023 को मेरे कार्यालय में आकर मिले जिन्हें मैं पर्वतदान चारण कृषि अधिकारी उद्यान से मिलने के लिए कहा था। श्री योगेश कुमार खटीक ने मेरे से भी इनकी फव्वारा फाईलों के अनुदान के संबंध में एवं ड्रिप ईरिंगेशन के संबंध में बातचीत की थी। मैनें तो कार्यालय के उपरी खर्च के हिसाब से इनकों कुछ रूपयें पैसे देने के लिए कहा था। परन्तु मैंने कोई रिश्वत राशि की मांग न तो की थी और न ही मैने ली है। जिसने ली है उसके खिलाफ आप कार्यवाही करों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है आज दिनांक 06.06.2023 को मैं कलेक्ट्रेट कार्यालय उदयपुर मींटिंग में मेरे कार्यालय से जाते समय श्री योगेश कुमार खटीक फर्म मालिक मेरे से रूपये देने के संबंध में बातचीत की तो मैं जल्दी में होने से मैंने कार्यालय के कृषि अधिकारी उद्यान श्री पर्वतदान चारण जी से मिलने एवं राशि देने के लिए कहकर निकल गई फिर श्री योगेश कुमार ने कब पर्वतदान जी चारण को रूपयें दिये इसकी जानकारी मुझें नहीं है। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री पर्वतदान चारण कृषि अधिकारी उद्यान एवं आरोपियां डॉ0 लक्ष्मी कंवर राठौड उप निदेशक उद्यान के उक्त तथ्यों के संबंध में पुनः परिवादी से पुछा तो परिवादी ने बताया कि मेरे से डॉ0 लक्ष्मी कंवर राठौड उप निदेशक उद्यान एवं श्री पर्वतदान चारण कृषि अधिकारी उद्यान द्वारा मेरी फर्म वाई के डिडवानिया एण्ड कंपनी की किसानों की फव्वारा संयत्र की फाईलो का अनुदान, ड्रिप ईरिंगेशन के कमीशन एवं ब्लेक लिस्टेड नहीं करनें की एवज में प्रति फाईल 1000 रूपयें तथा ड्रिप ईरिंगेशन में 3 प्रतिशत रिश्वत राशि लिया जाना दिनांक 29.05.2023 को तय हुआ था। मैनें मेरी व्यवस्था अनुसार पार्ट पेमेंट 25,000 रूपयें आज दिनांक 06.06.2023 को डॉ0 लक्ष्मी कंवर राठौड के कहे अनुसार श्री पर्वतदान चारण को दिये जो इन्होनें अपने दोनो हाथों से गिनकर इनकी टेबल की सेकण्ड दराज में मेरे सामनें रखे है जो अभी वक्त बरामदगी श्री पर्वतदान चारण के कहे अनुसार बरामद होना बताया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने दोनो आरोपीगणों को परिवादी के उपर्युक्त तथ्य के सबंध में पुछा तो आरोपी श्री पर्वतदान चारण ने बताया कि हमनें कोई रिश्वत राशि नहीं ली है। ये जबरदस्ती देकर चला गया। जो मैनें लेकर मेरी टेबल की दराज में रखी है। इसमें मेरी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिये मेरी मदद करों तथा आरोपियां डॉ0 लक्ष्मी कंवर राठौड ने बताया कि साहब मैं कुछ नहीं जानती हूँ मैनें तो योगेश कुमार खटीक को कहा कि छोटी सी गलती हो गई है माफ करों। आयन्दा ऐसी गलती नहीं करूंगी। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त ट्रेप कार्यवाही में वांछित परिवादी से संबंधित फव्वारा संयत्र आवेदन की फाईलो की प्रतियां चाही गई तो आरोपी श्री पर्वतदान चारण कृषि अधिकारी उद्यान द्वारा अपने कम्प्यूटर से ऑनलाईन प्रत्येक आवेदन कुल 60 प्रतियां निकाली गई जिसका कार्यालय पत्र कमांक 351 दिनांक 06.06.2023 के साथ संलग्न प्रमाणित प्रतियां उप निदेशक उद्यान उदयपुर के हस्ताक्षर से प्रमाणितशुदा संलग्न पत्र के साथ प्राप्त की गई जिसके प्रथम एवं अंतिम पेज पर संबंधित के हस्ताक्षर कराकर बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। उपर्युक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर नमूना सील अंकित कर संबंधितों के

हस्ताक्षर करवाये गये। समय 05:10 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सुपरवाईजरी अधिकारी श्रीमान् उपमहानिरीक्षक पुलिस महोदय भ्र0नि0 ब्यूरों उदयपुर रेंज उदयपुर तथा निर्देशनकर्ता अधिकारी श्री कैलाश सिंह सान्दु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अब तक के समस्त हालात तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता तथा रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता के संबंध में विस्तृत हालात जरिये दुरभाष निवेदन कर प्राप्त निर्देशानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया गया। समय 05:20 पीएम पर हर दोनों आरोपियों के आवास की खाना तलाशी लिवाये जाने हेतु श्रीमान् उपमहानिरीक्षक पुलिस महोदय भ्र0नि0 ब्यूरों उदयपुर रेंज उदयपुर को निवेदन किया गया। समय 05:30 पीएम पर आरोपी श्री पर्वतदान चारण के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 पीसी (संशोधित) एक्ट 2018 एवं 109 आईपीसी में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार धारा 41 बी सीआरपीसी की पालना की जाकर गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी की सूचना पृथक से आरोपी के परिजनों को सूचित किया जाना सूनिश्चित किया गया। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 05:45 पीएम पर पुलिस निरीक्षक श्रीमती सोनु शेखावत तथा महिला कानि0 ललिता कुमारी एवं श्रीमती लीला की मौजूदगी में आरोपियां डॉ0 लक्ष्मी कंवर राठौड के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 पीसी (संशोधित) एक्ट 2018 एवं 109 आईपीसी में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से अपराध से अवगत करा नियमानुसार धारा 41 बी सीआरपीसी की पालना की जाकर महिला होने के नाते पूर्ण गरिमा एवं सम्मान के साथ महिला अधिकारी एवं महिला कानि0 की मौजूदगी में गिरफ्तार आरोपिया की जामा तलाशी डॉ. सोनू शेखावत पुलिस निरीक्षक से लिवाई जाकर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना पृथक से आरोपियां के परिजनों को सूचित किया जाना सूनिश्चित किया गया। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 05:50 पीएम पर आरोपी श्री पर्वतदान चारण कृषि अधिकारी के निवास स्थान लाल विहार कॉलोनी नया आरटीओ ऑफिस के पास उदयपुर की नियमानुसार खाना तलाशी लेने हेतु पुलिस निरीक्षक डॉ. सोनु शेखावत को रवाना किया गया। आरोपीया श्रीमति लक्ष्मी कंवर राठोड के रिहायशी निवास स्थान कृष्णा विहार कॉलोनी प्रताप नगर उदयपुर की खाना तलाशी हेतु श्रीमान उच्च अधिकारियो के निर्देशानुसार श्री दिनेश सुखवाल उप अधीक्षक भ.नि.ब्यूरो इन्टे उदयपुर को जरिये दूरभाष अवगत करवाया। समय 06:00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक स्वतंत्र गवाहानों की मौजूदगी में आरोपी श्री पर्वतसिंह तथा परिवादी श्री योगेश कुमार की निशादेही से घटनास्थल का पूर्ण प्राकृतिक प्रकाश में फर्द नक्शा मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। समय 06:10 पीएम पर परिवादी श्री योगेश कुमार खटीक के मोबाईल नंबर 8505080956 से आरोपी श्री पर्वतदान चारण के मोबाईल नंबर 9660287376 पर समय करीब 11:24 एएम एवं समय 01.51 पीएम तथा समय 01:52 पीएम पर हुई मोबाईल वार्ता एवं रिश्वत राशि लेनदेन के वक्त हुई वार्ता जिसे डिजिटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था। उक्त चारो वाताओं को चलाकर बारी-बारी से स्वतंत्र गवाहानों के समक्ष परिवादी श्री योगेश, आरोपी श्री पर्वतदान एवं आरोपियां डॉ0 लक्ष्मी कंवर राठौड को सुनाया गया तो परिवादी श्री योगेश कुमार, तथा आरोपी श्री पर्वतदान चारण तथा आरोपियां डॉ0 लक्ष्मी कंवर राठौड ने अपनी-अपनी आवाज होना स्वीकार किया। जिस पर डिजिटल वॉयस रिकार्डर को लेपटोप से कनेक्ट करवाकर कानि0 श्री सुनील कुमार से मेरे निर्देशन में उक्त चारों वार्ताओं की फर्द टांसक्रिप्ट तैयार करवाया जाना प्रारंभ किया गया। समय 07:45 पीएम पर परिवादी श्री योगेश कुमार खटीक के मोबाईल नंबर 8505080956 से आरोपी श्री पर्वतदान चारण के मोबाईल नंबर 9660287376 पर समय करीब 11:24 एएम, समय 01.51 पीएम, समय 01:52 पीएम पर हुई मोबाईल वार्ता तथा रिश्वत राशि लेनदेन के वक्त हुई वार्ता जिसे डिजिटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया गया था। उक्त चारो वाताओं की फर्द टांसक्रिप्ट तैयार करवाया जाना समाप्त किया गया तथा वार्ता की एक मूल एवं दो मुल्जिम एवं एक आईओ प्रति सीडी तैयार करवाई गई। फर्द टांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवायें गये तथा समस्त सीडीयों पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये तथा मूल सीडी को कपडे की थेली में बंद कर मार्क "बी" अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवायें जाकर सीलबंद मोहर की गई। समय 07:55 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में कानि0 श्री सुनील कुमार द्वारा लेपटोप से डिजिटल वॉईस रिकार्डर को कनेक्ट करा ट्रेप कार्यवाही मे

डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्डशुदा समस्त वार्ताओं को एक पेन ड्राईव सेन्डिस्क 16 जीबी में अंतरित करा पेनड्राईव को एक कपडे की थेली में सीलबंद कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क ''सी'' अंकित किया गया तथा वक्त रिश्वत मांग सत्यापन, मोबाईल वार्ता एवं रिश्वत राशी लेनदेन वार्ता की रिकार्डिंग हेतु डिजिटल वॉईस रिकार्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड More Byte 8 GB बरंग नीला को वॉईस रिकार्डर से पृथक कर वजह सबूत कपडे की थेली सीलबंद कर मार्क ''डी'' अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द जब्ती पृथक से मुर्तिब की गई। समय 08: 25 पीएम पर आरोपी श्री पर्वतदान चारण की गिरफ्तारी के समय जामा तलाशी में प्राप्त मोबाईल को वजह सबूत जब्त किया जाकर फर्द पृथक से मुर्तिब की गई। समय 08: 35 पीएम पर आरोपियां डॉ0 लक्ष्मी कंवर राठौड की गिरफ्तारी के समय जामा तलाशी में प्राप्त मोबाईल को इस समय वजह सबूत जब्त किया जाकर फर्द पृथक से मुर्तिब की गई। समय 08:45 पीएम पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहन, ब्यूरों टीम मय सीलबंद जब्तशुदा धोवन की शाशियां, सीलबंद रिश्वत राशी तथा आरोपियों को अपने साथ सरकारी टवेरा एवं परिवादी को उसकी मोटरसाईकिल से कार्यालय उप निदेशक उद्यान उदयपुर से रवाना होकर समय 08:55 पीएम कार्यालय भ्र0नि0 ब्यूरों चौकी उदयपुर पर पहुँचे। समय 09:10 पीएम पर आरोपियां डा0 लक्ष्मी कंवर राठौड के पति श्री दशरथ सिंह एवं आरोपी श्री पर्वतदान चारण का भाई श्री शिवपाल दान घर से भोजन लेकर उपस्थित हुए जिन्हें मिलवाया गया तथा सम्मानपूर्वक भोजन करवाया जाकर गिरफ्तार किये जाने की सूचना दी जाकर फर्द पर हस्ताक्षर करवाये। समय 09:15 पीएम पर पुलिस निरीक्षक श्रीमती सोनु शेखावत एवं पुलिस उप अधीक्षक श्री दिनेश सुखवाल द्वारा आरोपियों के आवासों की ली गई खाना तलाशी रिपोर्ट मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द की गई जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। समय 09:30 पीएम पर आरोपियों को पृथक–पृथक तहरीर दी जाकर उनकी आवाज के नमूना एवं स्पष्टीकरण चाहा गया तो हर दोनो आरोपियों द्वारा अपनी अपनी आवाज का नमूना नहीं देने हेतु अंकित किया गया। आरोपियों के प्रत्यूत्तर को शामिल पत्रावली किया गया। समय 10:45 पीएम पर महिला आरोपी की गिरफ्तारी होने से आरोपीया डॉ. लक्ष्मी कुवंर राठौड को अलग से महिला कानिगण श्रीमति लीला एवं ललिता की निगरानी में ब्यूरो कार्यालय के सुरक्षित कक्ष में रात्रि विश्राम हेतु सुलाया गया। आरोपी श्री पर्वतदान चारण को भी ब्यूरो जाब्ता की निगरानी में कार्यालय के अन्य कक्ष में रात्रि विश्राम हेतु सुलाया गया। परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को बाद हिंदायत के रूखसत किया गया। दिनांक 07. 06.2023 को आरोपियों का नियमानुसार स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कम संख्या 01 पर प्रस्तुत किया जिस पर आरोपियों के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा जेसी आदेशित किया जाने पर केन्द्रिय कारागार उदयपुर पर जमा करा नियमानुसार रसीद प्राप्त की गई।

इस प्रकार आरोपियां 1. डॉ लक्ष्मी कुंवर राठोड पत्नी श्री दशरथ सिंह राजावत उम्र 41 वर्ष निवासी ग्रम जवाली पोस्ट पानेर तहसील पीपलुन्द जिला टोंक हाल निवासी मकान नम्बर 04 पुराना आरटीओ ऑफिस के पीछे कृष्ण विहार कॉलोनी प्रतापनगर जिला उदयपुर हाल उप निदेशक उधान जिला उदयपुर एवं आरोपी 2. श्री पर्वतदान चारण पुत्र श्री बींबरदान चारण उम्र 49 वर्ष निवासी गांव छोटडिया, तहसील रतनबढ जिला चुरू हाल निवासी लालविहार कॉलोनी नया आरटीओ के पास जिला उदयपुर (किराये पर) हाल कृषि अधिकारी कार्यालय उप निदेशक उधान जिला उदयपुर द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर परिवादी श्री योगेश कुमार की फर्म वाय के डिडवानिया एवं कंपनी की और से किसानों के फव्वारा संयत्र एवं ड्रिप ईरिगेशन सिस्टम हेतु अनुदान एवं सब्सिडी जारी करनें की एवज में अवैध पारितोषण के रूप में रिश्वत राशि की मांगकर 25000 रूपयें रिश्वत राशि ग्रहण करना जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 एवं 109 भा.दं.सं. में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपियां 1. डॉ लक्ष्मी कुंवर राठोड पत्नी श्री दशरथ सिंह राजावत उम्र 41 वर्ष निवासी ग्रम जवाली पोस्ट पानेर तहसील पीपलुन्द जिला टोंक हाल निवासी मकान नम्बर 04 पुराना आरटीओ ऑफिस के पीछे कृष्ण विहार कॉलोनी प्रतापनगर जिला उदयपुर हाल उप

निदेशक उधान जिला उदयपुर एवं आरोपी 2. श्री पर्वतदान चारण पुत्र श्री बीबरदान चारण उम्र 49 वर्ष निवासी गांव छोटडिया, तहसील रतनबढ जिला चुरू हाल निवासी लालविहार कॉलोनी नया आरटीओ के पास जिला उदयपुर (किराये पर) हाल कृषि अधिकारी कार्यालय उप निदेशक उधान जिला उदयपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 एवं 109 भा.दं.सं. के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विस्तृत अनुसंधान किया जाना उचित होगा।

भवदीय,

(आदर्श कुमार)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों
एसयू उदयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री आदर्श कुमार पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर-एसयू ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1. डॉ लक्ष्मी कुंवर राठौड पत्नि श्री दशरथ सिंह राजावत हाल उप निदेशक उद्यान जिला उदयपुर एवं 2. श्री पर्वतदान चारण पुत्र श्री बीबरदान चारण हाल कृषि अधिकारी उद्यान, कार्यालय उप निदेशक उद्यान जिला उदयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 145/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

8.6.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 1093-96 दिनांक 08.06.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
3. आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़।

8.6.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।